न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/13/2022	2022/24	04.02.2022	23.08.2022

1. चन्दू पुत्र लक्ष्मण जाति जाटव, निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2019 तहसीलदार मालाखेडा प्रकरण संख्या 10/2019

उपस्थितः—

01. श्री अमरचन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 11.07.2019 प्रकरण संख्या 10/2019 जिसके द्वारा संवत 2076 वाके ग्राम हल्दीना की आराजी खसरा न0 2671/4294 रकबा 0.17 है0 किस्म चाही 3 चारागाह में से अतिक्रमित रकबा 0.17 है0 पर कपास बोकर पाश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी साबिक खसरा न0 161 मिन हाल खसरा न0 2671 स्थित वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा में स्थित है उक्त साबिक आराजी खसरा न0 161 में से 04 बीघा बारानी दोयम दिनांक 07.09.1975 को मिन अपीलान्ट को भू0 आवन्टन समिति द्वारा आवंटन किया गया तथा इसी दिन उक्त आराजी खसरा न0 161 में से 04 बीघा बारानी दोयम दिनांक 07.09.1975 को लक्ष्मण पुत्र हरबक्श चमार को भू0 आवंटन समिति द्वारा आवंटन किया गया। बाद आवंटन उक्त दोनों खसरा नम्बरों के बराबर—बराबर नक्शा ट्रेस के मुताबिक बराबर—बराबर लम्बाई—चौडाई के अनुसार तितम्बा काटा गया था। बरोज आवंटन व दखल से मिन अपीलान्ट उक्त अपनी आवंटित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है लेकिन तहत अदालत ने गौर नहीं किया इसलिए आलोच्य आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। सैटलमेन्ट अधिकारी के आदेश के बिना एक ही खसरा न0 में से पृथम से तितम्बा काटकर पृथक से न0 दिया गया है, जो गलत है, मौके पर 04 बीघा रकबा नहीं है, बल्कि रकबा कम पडता है। उसके बावजूद भी बिना किसी आधार के अपीलान्ट के खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है, जो खिलाफ कानून व मौका की जा रही है। पटवारी हल्का को बखूबी जानकारी है, कि खसरा न0 हाल 2671 सहित रकबा 1.00 है0 के हैं जो कि मिन अपीलानट को आवंटन हुआ है, मौके पर तीन खेत बने हुए हैं तीनों खेत अर्थात खसरा न0 2665, 2666, 2670, 2671, 2671/4294 को मिलाकर 2.0 है0 आराजी बनती है, उसी के अनुसार मौके पर काबिज है। लेकिन तहत अदालत ने गौर नही किया। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा तहत अदालत अपास्त किए जाने योग्य है। आराजी खसरा न0 2641/4294 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेंडा पर मिन अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण/कब्जा नही है। मिन अपीलान्ट ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया है। उक्त आराजी की किस्म बारानी दोयम है। उक्त आराजी अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी है। जिस पर मिन अपीलान्ट काबिज हैं। पटवारी हल्का ने मौके खिलाफ बिना कोई पैमाइश किए अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू0 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट अदालत में पेश की है जिस पर तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया गया जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्त करने योग्य है। विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट ने कोई नाजायज अतिक्रमण कर फसल कपास नहीं बोई है पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किए व बिना पैमाईश किए अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत की है मिन अपीलान्ट ने तहत अदालत मे उपस्थित होकर अपना जबाव नोटिस भी पेश किया है। जिस पर तहत अदालत ने कोई गौर नही किया। मिन अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है और न ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। मौके पर मिन अपीलान्ट का कोई कब्जा ना तो कभी रहा ना वर्तमान में है। बल्कि मिन अपीलान्ट अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज है। तहत अदालत ने बिना मौका निरीक्षण किए पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की है क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट को न तो बेदखल किया गया, न ही इस बाबत पत्रावली पर विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत है। जैसे पूर्व में बेदखल करने के निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि आदि। लेकिन तहसीलदार साहब ने केबल पटवारी हल्का के बयान पर बिना निर्णय की प्रतिलिपि पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है जो निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार आज्ञा तहसीलदार मालाखेडा के जिला अलवर दिनांक 11.07.2019 प्रकरण संख्या 10/2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का हल्दीना द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2019 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो सभी अतिक्रमियों को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अपलान्ट ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 02.07.2019 को जबाव पेश किया गया कि आराजी खसरा न0 2671/4294 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम हल्दीना की भूमि पर अतिक्रमण करना बतलाया गया है। उक्त आराजी पर मेरे द्वारा किए गए

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अतिक्रमण को मैं छोडने को तैयार हूं, नोटिस निरस्त फरमावें। खसरा परिवर्तनशील संवत 2075 चंदू पुत्र लक्ष्मण जाति जाटव द्वारा अतिक्रमण किया जाना अंकित है। पटवारी हल्का की बेदखली रिपोर्ट दिनांक 29.07.2019 में अतिक्रमी द्वारा कपास की फसल को उखाड कर बेदखल किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेडा से ली गई। तहसीलदार मालाखेडा के पत्रांक 389 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा पटवारी हल्का हल्दीना की मूल मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली है। अपलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपील व अपीलान्ट वकील की वहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 2671/4294 रकबा 0.17 है0 किस्म चाही 3 चारागाह में से अतिक्रमित रकबा 0.17 है0 पर कपास बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध पाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 11.07.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 11.07.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/08/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)